आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) Mutation Revision No.–08/2023 नरेश सोनार–बनाम–राज्य एवं जाबीर मलीक(हस्तक्षेपकर्त्ता)	आदेश पर गई कार्रवा बारे मे f तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

10/9/25

पुनरीक्षण वादीः–1. नरेश सोनार
पिता–अर्जन सोनार
साकिन–मनकडीहा, थाना–बिरनी,
जिला–गिरिडीह।

उत्तर वादीः– 1. राज्य
हस्तक्षेपकर्त्ताः– 1.जाबीर मलीक,
पिता–रमजान मलीक
साकिन–मनकडीहा, थाना–बिरनी
जिला–गिरिडीह।

–ःआदेशः–

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत Mutation Revision No. 08/2023 के पुनरीक्षण वादी नरेश सोनार के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के द्वारा अपील वाद सं0 07/2022–23, राजेश सोनार बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 के विरूद्ध U/s 16 of Bihar Tenant Holding Act, 1973 के तहत दायर किया गया है। दायर पुनरीक्षण वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 14.07.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय अभिलेख की माँग की गई तथा विभिन्न तिथियों में वाद की सुनवाई की गई।

वाद में सुनवाई के क्रम में एक जाबीर मलीक द्वारा हस्तक्षेपकर्त्ता के रूप में अपना पक्ष रखने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। हस्तक्षेपकर्त्ता को दिनांक 26.03.2025 को अपना पक्ष रखने एवं हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पुनरीक्षण वादी के अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन एवं वक्तव्यों द्वारा मुखयतः यह पक्ष रखा गया की रमजान मियॉ द्वारा अपने हक एवं हिस्से की जमीन इनको बेची गई है अर्थाथ

यह वादगत भूमि के वैध मालीक हैं, इसलिए अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 22/2021–22 अस्वीकृत किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उसी आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा अपील वाद सं0 07/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 भी न्यायोचित नहीं है। इसलिए अनुरोध किया गया है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को Set-aside करते हुए अंचल अधिकारी को इनके नाम से दाखिल–खारीज करने का निर्देश दिया जाय। अपने पक्ष की पुष्टी हेतु पुनरीक्षण वादी द्वारा वादगत भूमि का Sale Deed, दस्तावेज सं0 1426 वर्ष 1945 की अभिप्रमाणित छायाप्रति, पंजी–II की छायाप्रति आदि दस्तावेज दायर किये गये है, जो कि निम्न न्यायालय में दायर नहीं पाया गया।

इस वाद के हस्तक्षेपकर्त्ता जाबीर मलीक के अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन एवं वक्ताओं द्वारा मुखयतः यह पक्ष रखा गया की ये खतियानी रैयत घासी मलिक के वंशज है तथा प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी घासी मलिक वगै0 के नाम से चला आ रहा है। साथ ही यह भी बताया गया की प्रश्नगत भूमि के विक्रेता मो0 रमजान ने अवैध तरीके से अपनी हक/हिस्से से अधिक जीमन की बिक्री की है, इसलिए अंचल अधिकारी, बिरनी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित वाद में पारित आदेश सही है। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पुनरीक्षण वादी द्वारा दाखिल–खारीज का आवेदन अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद भी गलत तरीके से कई बार पुनः आवेदन किया गया। अपने पक्ष की पुष्टि हेतु Mutation Application rejection की छायाप्रति दायर किया गया है, साथ ही दस्तावेज सं0 1630 वर्ष 1943 की छायाप्रति भी दायर की गई। जो कि निम्न न्यायालय में दायर नहीं पाया गया है।

सम्पूर्ण अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख, सरकारी अधिवक्ता एवं सभी पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दायर दस्तावेज/आवेदन/हस्तक्षेप आवेदन/कारण पृच्छा के अवलोकन एवं परीशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षीत होते हैः–

1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा अपील वाद सं0 07/2022–23 में विस्तृत तरिके से सुनवाई एवं कार्यवाही की गई है। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क/दस्तावेज एवं साक्ष्यों का पूर्ण रूपेन अवलोकन एवं विवरण करते हुए तर्कशील आदेश पारित किया गया है।
2. पुनरीक्षण वादी द्वारा इस बात का कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया की Sale Deed जब इनके नाम से है, तो निम्न न्यायालय में दायर अपील वाद इनके भाई द्वारा दायर क्यों किया गया।
3. निम्न न्यायालय के तरह ही इस न्यायालय में भी पुनरीक्षण वादी द्वारा वादगत भूमि पर दखल कब्जा होने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. हस्तक्षेपकर्त्ता द्वारा दायर दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणवादी द्वारा न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का वाद विचाराधीन रहते हुए भी अंचल कार्यालय में Mutation application दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय किया जाता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा अपील वाद सं0 07/2022–23 में पारित आदेश तर्कशील एवं उचित प्रतीत होता है जिसमें कोई हस्तक्षेप की अवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। आदेश से असंतुष्ट होने पर आवेदक सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति के साथ मूल निम्न न्यायालय अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया को भेजे। पारित आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करावें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Ramniwas Yadav
Date: 2025.09.16 18:44:00 +05:30
Location: 192.168.101.7